

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)
—:: प्रवेश पत्र ::—
(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा—2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :— 27
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :— 2001
आवेदित पद का नाम :— चौकीदार
अभ्यर्थी का नाम :— बजरंग कुमार
पिता/पति का नाम :— पिता स्व. श्री संतराम
वर्ग(अना. / अ.जा. / अ.ज.जा / अ.पिंग.) :— अ.जा.
परीक्षा तिथि :— 18.02.2018
समय :— प्रातः 10.00 बजे
परीक्षा केन्द्र :— जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चर्चा करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारम्भ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चर्चा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश-पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
- परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश-पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट-छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
- केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)
—:: प्रवेश पत्र ::—
(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा—2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :— 36
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :— 2002
आवेदित पद का नाम :— चौकीदार
अभ्यर्थी का नाम :— राजेन्द्र कुमार बंक्षोर
पिता/पति का नाम :— पिता श्री प्रेमलाल
वर्ग(अना. / अ.जा. / अ.ज.जा / अ.पिंग.) :— अ.जा.
परीक्षा तिथि :— 18.02.2018
समय :— प्रातः 10.00 बजे
परीक्षा केन्द्र :— जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चर्सा करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारम्भ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चर्सा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
- परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट-छोट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
- केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)
—:: प्रवेश पत्र ::—
(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा—2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :— 38
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :— 2003
आवेदित पद का नाम :— चौकीदार
अभ्यर्थी का नाम :— जय कुमार कैवर्त्य
पिता/पति का नाम :— पिता श्री शत्रुघ्न लाल कैवर्त्य
वर्ग(अना. / अ.जा. / अ.ज.जा / अ.पिंव.) :— अ.पि.व.
परीक्षा तिथि :— 18.02.2018
समय :— प्रातः 10.00 बजे
परीक्षा केन्द्र :— जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
- परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट-छोट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
- केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)
—:: प्रवेश पत्र ::—
(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा—2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :— 86
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :— 2004
आवेदित पद का नाम :— चौकीदार
अभ्यर्थी का नाम :— राजकुमार गौतम
पिता / पति का नाम :— पिता श्री राजेन्द्र कुमार गौतम
वर्ग(अना. / अ.जा. / अ.ज.जा / अ.पिंग.) :— अना.
परीक्षा तिथि :— 18.02.2018
समय :— प्रातः 10.00 बजे
परीक्षा केन्द्र :— जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चर्सा करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारम्भ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना / चर्सा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
- परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट-छोट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक / केन्द्राध्यक्ष / सेन्टर हेड / सेन्टर मैनेजर / परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना / धमकाना / शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
- केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों / कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)
—:: प्रवेश पत्र ::—
(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा—2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :— 117
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :— 2005
आवेदित पद का नाम :— चौकीदार
अभ्यर्थी का नाम :— रमेश कुमार साहू
पिता/पति का नाम :— शत्रुघ्न लाल साहू
वर्ग(अना. / अ.जा. / अ.ज.जा / अ.पिव.) :— अ.पि.व.
परीक्षा तिथि :— 18.02.2018
समय :— प्रातः 10.00 बजे
परीक्षा केन्द्र :— जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चर्चा करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चर्चा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश-पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
- परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश-पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट-छोट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
- केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)
—:: प्रवेश पत्र ::—
(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा—2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :— 139
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :— 2006
आवेदित पद का नाम :— चौकीदार
अभ्यर्थी का नाम :— प्रदीप कुमार चतुर्वेदी
पिता/पति का नाम :— श्री खोमन लाल चतुर्वेदी
वर्ग(अना. / अ.जा. / अ.ज.जा / अ.पिंग.) :— अ.जा.
परीक्षा तिथि :— 18.02.2018
समय :— प्रातः 10.00 बजे
परीक्षा केन्द्र :— जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चक्षा करें।


(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चक्षा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश-पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
- परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश-पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट-छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
- केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)
—:: प्रवेश पत्र ::—
(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा—2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :— 164
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :— 2007
आवेदित पद का नाम :— चौकीदार
अभ्यर्थी का नाम :— श्री हरप्रसाद धुरी
पिता / पति का नाम :— श्री रामेश्वर प्रसाद धुरी
वर्ग(अना. / अ.जा. / अ.ज.जा / अ.पिंव.) :— अ.पि.व.
परीक्षा तिथि :— 18.02.2018
समय :— प्रातः 10.00 बजे
परीक्षा केन्द्र :— जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चर्चा करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना / चर्चा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
- परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट-छोट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक / केन्द्राध्यक्ष / सेन्टर हेड / सेन्टर मैनेजर / परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना / धमकाना / शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
- केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों / कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)
—:: प्रवेश पत्र ::—
(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा—2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :— 201
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :— 2008
आवेदित पद का नाम :— चौकीदार
अभ्यर्थी का नाम :— श्री तुलेश्वर सिंह
पिता/पति का नाम :— पिता श्री सोनू सिंह
वर्ग(अना. / अ.जा. / अ.ज.जा / अ.पिंग.) :— अ.जा.
परीक्षा तिथि :— 18.02.2018
समय :— प्रातः 10.00 बजे
परीक्षा केन्द्र :— जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चर्चा करें।


(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारम्भ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चर्चा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
- परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट-छोट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
- केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)
—:: प्रवेश पत्र ::—
(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा—2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :— 207
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :— 2009
आवेदित पद का नाम :— चौकीदार
अभ्यर्थी का नाम :— श्री सागर कुमार निराला
पिता/पति का नाम :— पिता श्री परशु राम निराला
वर्ग(अना. / अ.जा. / अ.ज.जा / अ.पिंग.) :— अ.जा.
परीक्षा तिथि :— 18.02.2018
समय :— प्रातः 10.00 बजे
परीक्षा केन्द्र :— जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चक्षा करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारम्भ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चक्षा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश-पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
- परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश-पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट-छोट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
- केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)
—:: प्रवेश पत्र ::—
(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा—2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :— 247
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :— 2010
आवेदित पद का नाम :— चौकीदार
अभ्यर्थी का नाम :— श्री ठंडा राम बंजारे
पिता/पति का नाम :— पिता श्री मुकुत राम बंजारे
वर्ग(अना. / अ.जा. / अ.ज.जा / अ.पिंग.) :— अ.जा.
परीक्षा तिथि :— 18.02.2018
समय :— प्रातः 10.00 बजे
परीक्षा केन्द्र :— जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चर्सा करें।


(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चर्सा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
- परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट-छोट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
- केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)
—:: प्रवेश पत्र ::—
(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा—2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :— 273
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :— 2011
आवेदित पद का नाम :— चौकीदार
अभ्यर्थी का नाम :— श्री नोकेश्वर कुमार
पिता/पति का नाम :— पिता श्री गोपाल राम
वर्ग(अना. / अ.जा. / अ.ज.जा / अ.पिंव.) :— अ.पि.व.
परीक्षा तिथि :— 18.02.2018
समय :— प्रातः 10.00 बजे
परीक्षा केन्द्र :— जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चर्सा करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारम्भ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चर्सा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश-पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
- परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश-पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट-छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
- केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)
—:: प्रवेश पत्र ::—
(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा—2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :— 299
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :— 2012
आवेदित पद का नाम :— चौकीदार
अभ्यर्थी का नाम :— श्री संजय भगत
पिता/पति का नाम :— पिता श्री जगनाथ भगत
वर्ग(अना. / अ.जा. / अ.ज.जा / अ.पिंग.) :— अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि :— 18.02.2018
समय :— प्रातः 10.00 बजे
परीक्षा केन्द्र :— जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चक्षा करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारम्भ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चक्षा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
- परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट-छोट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
- केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)
—:: प्रवेश पत्र ::—
(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा—2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :— 316
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :— 2013
आवेदित पद का नाम :— चौकीदार
अभ्यर्थी का नाम :— श्री संतोष कुमार चौहान
पिता / पति का नाम :— पिता श्री सुफल चौहान
वर्ग(अना. / अ.जा. / अ.ज.जा / अ.पिंग.) :— अ.जा.
परीक्षा तिथि :— 18.02.2018
समय :— प्रातः 10.00 बजे
परीक्षा केन्द्र :— जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चर्सा करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारम्भ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना / चर्सा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
- परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट-छोट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक / केन्द्राध्यक्ष / सेन्टर हेड / सेन्टर मैनेजर / परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना / धमकाना / शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
- केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों / कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)
—:: प्रवेश पत्र ::—
(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा—2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :— 334
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :— 2014
आवेदित पद का नाम :— चौकीदार
अभ्यर्थी का नाम :— श्री बेदराम
पिता/पति का नाम :— पिता श्री बिशाली राम
वर्ग(अना. / अ.जा. / अ.ज.जा / अ.पिव.) :— अ.पि.व.
परीक्षा तिथि :— 18.02.2018
समय :— प्रातः 10.00 बजे
परीक्षा केन्द्र :— जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चक्षा करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चक्षा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
- परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट-छोट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
- केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)

—:: प्रवेश पत्र ::—

(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा—2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :— 345
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :— 2015
आवेदित पद का नाम :— चौकीदार
अभ्यर्थी का नाम :— श्री दीपक कुमार पांडेय
पिता/पति का नाम :— पिता श्री बंशी लाल पांडेय
वर्ग(अना./अ.जा./अ.ज.जा/अ.पिंग.) :— अना.
परीक्षा तिथि :— 18.02.2018
समय :— प्रातः 10.00 बजे
परीक्षा केन्द्र :— जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चक्षा करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारम्भ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चक्षा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
- परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थीता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट-छोट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
- केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)
—:: प्रवेश पत्र ::—
(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा—2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :— 470
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :— 2016
आवेदित पद का नाम :— चौकीदार
अभ्यर्थी का नाम :— मानसिंह
पिता/पति का नाम :— पिता श्री अमृत लाल
वर्ग(अना. / अ.जा. / अ.ज.जा / अ.पिंग.) :— अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि :— 18.02.2018
समय :— प्रातः 10.00 बजे
परीक्षा केन्द्र :— जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चर्चा करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारम्भ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चर्चा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
- परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दापिङ्क कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट-छोट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
- केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)
—:: प्रवेश पत्र ::—
(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा—2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :— 479
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :— 2017
आवेदित पद का नाम :— चौकीदार
अभ्यर्थी का नाम :— मनसुखा लाल वर्मा
पिता/पति का नाम :— पिता श्री धनीराम वर्मा
वर्ग(अना. / अ.जा. / अ.ज.जा / अ.पिंव.) :— अ.पि.व.
परीक्षा तिथि :— 18.02.2018
समय :— प्रातः 10.00 बजे
परीक्षा केन्द्र :— जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चर्पा करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चर्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
- परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट-छोट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
- केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)
—:: प्रवेश पत्र ::—
(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा—2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :— 502
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :— 2018
आवेदित पद का नाम :— चौकीदार
अभ्यर्थी का नाम :— सनत कुमार कुर्झ
पिता / पति का नाम :— पिता श्री अधोरी लाल कुर्झ
वर्ग(अना. / अ.जा. / अ.ज.जा / अ.पिंग.) :— अ.जा.
परीक्षा तिथि :— 18.02.2018
समय :— प्रातः 10.00 बजे
परीक्षा केन्द्र :— जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चर्सा करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना / चर्सा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
- परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट-छोट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक / केन्द्राध्यक्ष / सेन्टर हेड / सेन्टर मैनेजर / परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना / धमकाना / शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
- केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों / कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)
—:: प्रवेश पत्र ::—
(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा—2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :— 506
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :— 2019
आवेदित पद का नाम :— चौकीदार
अभ्यर्थी का नाम :— श्री अजय कुमार निराला
पिता/पति का नाम :— पिता श्री पुनीराम निराला
वर्ग(अना. / अ.जा. / अ.ज.जा / अ.पिंग.) :— अ.जा.
परीक्षा तिथि :— 18.02.2018
समय :— प्रातः 10.00 बजे
परीक्षा केन्द्र :— जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चर्सा करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चर्सा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
- परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट-छोट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
- केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)
—:: प्रवेश पत्र ::—
(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा—2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :— 519
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :— 2020
आवेदित पद का नाम :— चौकीदार
अभ्यर्थी का नाम :— श्री सिद्धार्थ सोनी
पिता/पति का नाम :— पिता श्री मोतीलाल सोनी
वर्ग(अना. / अ.जा. / अ.ज.जा / अ.पिव.) :— अ.पि.व.
परीक्षा तिथि :— 18.02.2018
समय :— प्रातः 10.00 बजे
परीक्षा केन्द्र :— जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चर्सा करें।


(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारम्भ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चर्सा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश-पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
- परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश-पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट-छोट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
- केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)
—:: प्रवेश पत्र ::—
(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा—2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :— 551
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :— 2021
आवेदित पद का नाम :— चौकीदार
अभ्यर्थी का नाम :— श्री अनिल कुमार चौहान
पिता/पति का नाम :— पिता श्री परमानन्द चौहान
वर्ग(अना. / अ.जा. / अ.ज.जा / अ.पिंग.) :— अ.जा.
परीक्षा तिथि :— 18.02.2018
समय :— प्रातः 10.00 बजे
परीक्षा केन्द्र :— जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
- परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट-छोट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
- केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)
—:: प्रवेश पत्र ::—
(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा—2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :— 576
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :— 2022
आवेदित पद का नाम :— चौकीदार
अभ्यर्थी का नाम :— श्री योगेश कुमार चौधरी
पिता / पति का नाम :— पिता श्री सुदामा प्रसाद चौधरी
वर्ग(अना. / अ.जा. / अ.ज.जा / अ.पिंव.) :— अ.पि.व.
परीक्षा तिथि :— 18.02.2018
समय :— प्रातः 10.00 बजे
परीक्षा केन्द्र :— जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चक्षा करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना / चक्षा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
- परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट-छोट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक / केन्द्राध्यक्ष / सेन्टर हेड / सेन्टर मैनेजर / परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना / धमकाना / शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
- केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों / कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)
—:: प्रवेश पत्र ::—
(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा—2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :— 593
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :— 2023
आवेदित पद का नाम :— चौकीदार
अभ्यर्थी का नाम :— श्री अभिषेक कुमार
पिता/पति का नाम :— पिता श्री हिम्मतलाल शर्मा
वर्ग(अना. / अ.जा. / अ.ज.जा / अ.पिंग.) :— अना.
परीक्षा तिथि :— 18.02.2018
समय :— प्रातः 10.00 बजे
परीक्षा केन्द्र :— जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चर्सा करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारम्भ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चर्सा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
- परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट-छोट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
- केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)
—:: प्रवेश पत्र ::—
(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा—2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :— 739
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :— 2024
आवेदित पद का नाम :— चौकीदार
अभ्यर्थी का नाम :— ललित कुमार बरेठ
पिता / पति का नाम :— पिता श्री शत्रुघ्न प्रसाद बरेठ
वर्ग(अना. / अ.जा. / अ.ज.जा / अ.पिंव.) :— अ.पि.व.
परीक्षा तिथि :— 18.02.2018
समय :— प्रातः 10.00 बजे
परीक्षा केन्द्र :— जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चस्पा करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना / चस्पा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
- परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट-छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक / केन्द्राध्यक्ष / सेन्टर हेड / सेन्टर मैनेजर / परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना / धमकाना / शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
- केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों / कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)
—:: प्रवेश पत्र ::—
(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा—2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :— 749
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :— 2025
आवेदित पद का नाम :— चौकीदार
अभ्यर्थी का नाम :— रामनारायण
पिता/पति का नाम :— पिता श्री चमरू गोड
वर्ग(अना. / अ.जा. / अ.ज.जा / अ.पिंग.) :— अ.ज.जा.
परीक्षा तिथि :— 18.02.2018
समय :— प्रातः 10.00 बजे
परीक्षा केन्द्र :— जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चक्षा करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारम्भ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चक्षा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
- परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट-छोट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
- केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)
—:: प्रवेश पत्र ::—
(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा—2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :— 752
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :— 2026
आवेदित पद का नाम :— चौकीदार
अभ्यर्थी का नाम :— प्रमोद कुमार तिवारी
पिता / पति का नाम :— पिता शिवकुमार तिवारी
वर्ग(अना. / अ.जा. / अ.ज.जा / अ.पिंग.) :— अना.
परीक्षा तिथि :— 18.02.2018
समय :— प्रातः 10.00 बजे
परीक्षा केन्द्र :— जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चर्सा करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना / चर्सा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
- परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट-छोट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक / केन्द्राध्यक्ष / सेन्टर हेड / सेन्टर मैनेजर / परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना / धमकाना / शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
- केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों / कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)
—:: प्रवेश पत्र ::—
(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा—2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :— 757
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :— 2027
आवेदित पद का नाम :— चौकीदार
अभ्यर्थी का नाम :— परितम सोनवानी
पिता/पति का नाम :— पिता देवसिंग सोनवानी
वर्ग(अना. / अ.जा. / अ.ज.जा / अ.पिंग) :— अ.जा.
परीक्षा तिथि :— 18.02.2018
समय :— प्रातः 10.00 बजे
परीक्षा केन्द्र :— जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चर्चा करें।


(अध्यक्ष)
चयन समिति
कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारम्भ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चर्चा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
- परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट-छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
- केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)
—:: प्रवेश पत्र ::—
(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा—2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :— 772
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :— 2028
आवेदित पद का नाम :— चौकीदार
अभ्यर्थी का नाम :— पालेश्वर प्रसाद
पिता/पति का नाम :— पिता श्री राजमोहन यादव
वर्ग(अना. / अ.जा. / अ.ज.जा / अ.पिंव.) :— अ.पि.व.
परीक्षा तिथि :— 18.02.2018
समय :— प्रातः 10.00 बजे
परीक्षा केन्द्र :— जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चर्सा करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारम्भ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चर्सा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
- परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट-छोट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
- केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)
—:: प्रवेश पत्र ::—
(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा—2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :— 780
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :— 2029
आवेदित पद का नाम :— चौकीदार
अभ्यर्थी का नाम :— रेख लाल साहू
पिता / पति का नाम :— पिता श्री दूज राम साहू
वर्ग(अना. / अ.जा. / अ.ज.जा / अ.पिव.) :— अ.पि.व.
परीक्षा तिथि :— 18.02.2018
समय :— प्रातः 10.00 बजे
परीक्षा केन्द्र :— जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चक्षा करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना / चक्षा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
- परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दापिङ्क कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट-छोट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक / केन्द्राध्यक्ष / सेन्टर हेड / सेन्टर मैनेजर / परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना / धमकाना / शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
- केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों / कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)
—:: प्रवेश पत्र ::—
(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा—2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :— 868
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :— 2030
आवेदित पद का नाम :— चौकीदार
अभ्यर्थी का नाम :— सुदामा चौहान
पिता/पति का नाम :— पिता श्री भगवानो चौहान
वर्ग(अना. / अ.जा. / अ.ज.जा / अ.पिंग.) :— अ.जा.
परीक्षा तिथि :— 18.02.2018
समय :— प्रातः 10.00 बजे
परीक्षा केन्द्र :— जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चर्सा करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारम्भ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चर्सा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश-पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
- परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश-पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट-छोट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
- केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)
—:: प्रवेश पत्र ::—
(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा—2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :— 916
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :— 2031
आवेदित पद का नाम :— चौकीदार
अभ्यर्थी का नाम :— भूपेश कुमार
पिता / पति का नाम :— पिता श्री विजय कुमार
वर्ग(अना. / अ.जा. / अ.ज.जा / अ.पिव.) :— अ.पि.व.
परीक्षा तिथि :— 18.02.2018
समय :— प्रातः 10.00 बजे
परीक्षा केन्द्र :— जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चर्सा करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारम्भ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना / चर्सा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
- परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट-छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक / केन्द्राध्यक्ष / सेन्टर हेड / सेन्टर मैनेजर / परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना / धमकाना / शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
- केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों / कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)
—:: प्रवेश पत्र ::—
(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा—2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :— 919
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :— 2032
आवेदित पद का नाम :— चौकीदार
अभ्यर्थी का नाम :— सीताराम साहू
पिता / पति का नाम :— पिता श्री फिरन्ता राम साहू
वर्ग(अना. / अ.जा. / अ.ज.जा / अ.पिंव.) :— अ.पि.व.
परीक्षा तिथि :— 18.02.2018
समय :— प्रातः 10.00 बजे
परीक्षा केन्द्र :— जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चर्सा करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारम्भ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना / चर्सा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
- परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट-छोट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक / केन्द्राध्यक्ष / सेन्टर हेड / सेन्टर मैनेजर / परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना / धमकाना / शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
- केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों / कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)
—:: प्रवेश पत्र ::—
(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा—2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :— 964
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :— 2033
आवेदित पद का नाम :— चौकीदार
अभ्यर्थी का नाम :— उमेश कुमार पटेल
पिता/पति का नाम :— पिता श्री नरोत्तम पटेल
वर्ग(अना. / अ.जा. / अ.ज.जा / अ.पिंव.) :— अ.पि.व.
परीक्षा तिथि :— 18.02.2018
समय :— प्रातः 10.00 बजे
परीक्षा केन्द्र :— जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चर्सा करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारम्भ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चर्सा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश-पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
- परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश-पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट-छोट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
- केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)
—:: प्रवेश पत्र ::—
(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा—2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :— 1016
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :— 2034
आवेदित पद का नाम :— चौकीदार
अभ्यर्थी का नाम :— राकेष कुमार
पिता/पति का नाम :— पिता श्री लाला राम
वर्ग(अना. / अ.जा. / अ.ज.जा / अ.पिव.) :— अ.पि.व.
परीक्षा तिथि :— 18.02.2018
समय :— प्रातः 10.00 बजे
परीक्षा केन्द्र :— जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चर्सा करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना/चर्सा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
- परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट-छॉट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक/केन्द्राध्यक्ष/सेन्टर हेड/सेन्टर मैनेजर/परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना/धमकाना/शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
- केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.)
—:: प्रवेश पत्र ::—
(दैनिक वेतन भोगी पदों पर भर्ती हेतु कौशल परीक्षा—2018)

आवेदन का पंजीयन क्रमांक :— 1061
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :— 2035
आवेदित पद का नाम :— चौकीदार
अभ्यर्थी का नाम :— भरत लाल साहा
पिता / पति का नाम :— पिता नकुल साहू
वर्ग(अना. / अ.जा. / अ.ज.जा / अ.पिव.) :— अ.पि.व.
परीक्षा तिथि :— 18.02.2018
समय :— प्रातः 10.00 बजे
परीक्षा केन्द्र :— जिला न्यायालय भवन, रायगढ़

आवेदन में दर्शित अनुसार
फोटो चर्चा करें।



(अध्यक्ष)
चयन समिति

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायगढ़

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- परीक्षार्थी को कौशल परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व उपस्थित होना अनिवार्य है। परीक्षा प्रारम्भ होने के पश्चात परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- परीक्षा के दिन परीक्षार्थी को अपना प्रवेश-पत्र साथ लाना अनिवार्य है।
- प्रवेश-पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये फोटो के अनुसार ही फोटो चिपकाना / चर्चा करना अनिवार्य है।
- परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल परीक्षा के दिन, परीक्षा-कक्ष में पर्यवेक्षक के समक्ष ही करें।
- परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- परीक्षा में आपकी उम्मीदवारी सर्वथा प्रावधिक है। चयन के किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि आपने चयन समिति से कोई सारभूत जानकारी छुपाई है या अन्यथा आप अनर्ह पाए जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी चयन के किसी भी स्तर पर समाप्त की जावेगी।
- परीक्षा में अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर तत्काल आपके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए आपको परीक्षा हॉल से निष्काषित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में चयन समिति अनुशासनात्मक निर्देशों के तहत आपके विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सकेगा साथ ही अभ्यर्थी के विरुद्ध दाण्डक कार्यवाही की जाएगी व आपकी अभ्यर्थिता स्वतः निरस्त हो जाएगी। प्रवेश पत्र में किसी भी प्रकार की कॉट-छोट करना अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलवाना, परीक्षा कक्ष में चिल्लाना, वीक्षक / केन्द्राध्यक्ष / सेन्टर हेड / सेन्टर मैनेजर / परीक्षा कार्य में लगे अन्य कर्मचारियों से किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार करना / धमकाना / शारीरिक चोट पहुँचाना उक्त सभी अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएंगे।
- केन्द्राध्यक्ष वीक्षकों तथा परीक्षा कार्य में लगे अन्य अधिकारियों / कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।



This document was created with the Win2PDF “print to PDF” printer available at
<http://www.win2pdf.com>

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

<http://www.win2pdf.com/purchase/>